कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 83/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 03.03.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 03.03.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना : कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़

युवती से दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.03.2026 को थाना कन्धरापुर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 35/26 धारा 64(1) बीएनएस व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण में एक युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप था। प्रकरण की विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर महोदय द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 03.03.2026 को उ0नि0 लाल सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मंदूरी तिराहे के पास से समय लगभग 12:35 बजे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम विनोद गुप्ता पुत्र गर्जन गुप्ता निवासी ग्राम बर्जी, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 55 वर्ष बताया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का नाम-पता-

01. विनोद गुप्ता पुत्र गर्जन गुप्ता, निवासी ग्राम बर्जी, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 55 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 35/26 धारा 64(1) बीएनएस व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

01. उ0नि0 लाल सिंह, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
02. का0 विजय यादव, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
03. का0 अमित जायसवाल, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना– जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से ठेले में टक्कर मारकर व्यक्ति की मृत्यु के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना / इतिहास-

दिनांक 02.03.2026 को वादी श्री अमन सोनकर पुत्र हरेन्द्र सोनकर निवासी वार्ड नं० 03 जानकीपुरम, अजमतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी गई कि स्कॉर्पियो वाहन संख्या UP70HB7888 के चालक भरत सिंह पुत्र रामविनय सिंह निवासी भटौली इब्राहिमपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए वादी के पिता हरेन्द्र सोनकर (उम्र लगभग 45 वर्ष) के छोले के ठेले में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 104/2026 धारा 281/106(1) बीएनएस बनाम स्कॉर्पियो चालक भरत सिंह उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना उ0नि0 अजय यादव द्वारा संपादित की की गई विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 106(1) बीएनएस की घटोत्तरी करते हुए धारा 105 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। इस प्रकार मुकदमा उपरोक्त की विवेचना मुकदमा अपराध संख्या 104/2026 धारा 281,105 बीएस में की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 03.03.2026 को उ0नि0 अजय यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त भरत सिंह को गोगा साव तिराहा, अजमतगढ़ से समय करीब 10:50 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. भरत सिंह पुत्र रामविनय सिंह निवासी भटौली इब्राहिमपुर थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 104/2025 धारा 281/105 बीएनएस थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 104/2025 धारा 281/105 बीएनएस थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

01. उ0नि0 अजय यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

02. हे0का0 केश्वेन्द्र प्रताप सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़